न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 26/2018

दायर दिनांक :– 30–05–2018

निर्णय दिनांक :–03–08–2018

01. श्री समरथलाल पिता भेराजी जाति मीणा आयु 29 वर्ष

02. श्री प्रभुलाल पिता भेराजी जाति मीणा आयु 25 वर्ष

निवासी बेडमा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज0 – वादी

–:: बनाम ::–

01. श्री देवीलाल पिता भेराजी जाति मीणा आयु वयस्क
02. श्री गणपतलाल पिता भेराजी जाति मीणा आयु वयस्क
03. श्री अमृतलाल पिता भेराजी जाति मीणा आयु वयस्क
सभी निवासीयान बेडमा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0)
04. व्यवस्थापक महोदय सहकारी समिति लिमिटेड नागदेडा तहसील अरनोद
05. शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर शाखा अरनोद राज0
06. तहसीलदार अरनोद – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0 टि0 एक्ट 136 ले0रे0 एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री अर्जुन वैष्णव, अभिभाषक वादी

–:: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0 रि0 एक्ट, 136 ले0 रे0 एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार पेश कर निवेदन किया है कि वादीगणों के पिता श्रीभेरा पिता बगदीरामजी के नाम से मोजा बेडमा प0ह0 बेडमा में सेटलमेंट से पूर्व बटवारे से निम्न आराजीयात दर्ज रिकॉर्ड हुई।

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकबा
53	144/1	15 बिस्वा
	684/144/2	7 बिस्वा
	148/4	19 बिस्वा
	340/2	2 बीघा 19 बिस्वा
	438/2	1 बीघा 1 बिस्वा
	524/2	2 बीघा 17 बिस्वा
कुल किता :– 6		कुल रकबा :– 8 बीघा 18 बिस्वा

उक्त आराजी पूर्व में जोखिया बगदिया रामा पिता हवा मीणा के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड थी जिसमें निम्नवत आराजीयात दर्ज थी।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with CamScanner

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकबा
53	8	8 बीघा 10 बिस्वा
	144	1 बीघा 18 बिस्वा
	145	2 बीघा 12 बिस्वा
	147	2 बीघा 8 बिस्वा
	148	5 बीघा 15 बिस्वा
	205	5 बिस्वा
	340	5 बीघा 19 बिस्वा
	438	2 बीघा 02 बिस्वा
	524	22 बीघा 3 बिस्वा
	684/144	1 बीघा 9 बिस्वा
	146	2 बिस्वा (चाह)
	कुल किता :– 11	कुल रकबा :– 53 बीघा 03 बिस्वा

उक्त सम्पूर्ण खाता श्रीजोखिया बगदिया रामा पिता हवा मीणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड था और बगदीराम की मृत्यु के बाद बगदीरामजी के वारिसान मांगीया पिता बगदीराम और भेरा पिता बगदीराम जी के नाम से विरासत से खाता दर्ज रिकॉर्ड हुआ उसके बाद उक्त खाते में बटवारा होकर भेराजी के नाम से उपर वर्णित आराजी नम्बर 144/1 रकबा 15 बिस्वा, 684/144/2 रकबा 7 बिस्वा, 148/4 रकबा 19 बिस्वा, 340/2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 438/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 524/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, श्रीभेराजी के नाम बटवारे से दर्ज रिकॉर्ड हुई वादीगण भेराजी के वारिसान हैं। भेराजी के नाम दर्ज रिकॉर्ड आराजी के वर्तमान आराजी नम्बर निम्नवत दर्ज रिकॉर्ड हुये :–

आराजी नम्बर	रकबा
710	0.29 है0
714	0.21 है0
836	0.18 है0
354	0.47 है0
129	1.34 है0
कुल किता :– 5	कुल रकबा :– 2.49 है0

उक्त वर्णित आराजीयात सेटलमेंट के बाद वादीगणों के पिता के नाम दर्ज होनी थी लेकिन सेटलमेंट विभागी की गलती से एक ही नाम के दो व्यक्ति होने की बजह से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गई जबकि उक्त आराजी पर वादीगण ही मालिक काबिज होकर कृषिकाश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगणों के पिता का नाम भी भेरा पिता बगदीराम होने से सेटलमेंट के बाद वर्तमान आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, 714 रकबा 0.21 है0, 836 रकबा 0.18 है0, एवं 354 रकबा 0.47 है0 प्रतिवादीगणों के पिता के नाम दर्ज हो गई जबकि प्रतिवादीगणों के पिता का गलत खाता था लेकिन एक नाम की बजह से उक्त वर्णित आराजी भी प्रतिवादीगणों के पिता के खाते में दर्ज हो गई और वर्तमान मे विरासत से प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज खाते का विवरण निम्नवत है:–

Scanned with CamScanner

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकबा
157	354	0.47 है0
	357	0.01 है0
	358	2.35 है0
	636	0.30 है0
	637	0.12 है0
	638	0.04 है0
	687	0.18 है0
	691	0.29 है0
	692	0.06 है0
	693	0.21 है0
	699	0.26 है0
	710	0.29 है0
	714	0.21 है0
	836	0.18 है0
कुल किता :– 14 कुल रकबा :– 4.97 है0		

उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 354, 710, 714, 836 रकबा क्रमशः 0.47 है0, 0.29 है0, 0.21 है0, 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 पर वादीगण मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे है लेकिन नाम की गफलत होने की बजह से सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिवादीगणों के पिता बगदीराम के नाम दर्ज कर दी और विरासत से प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज हो गई लेकिन नाम दर्ज हो जाने के बाद प्रतिवादीगणों के पिता के मन में बदनियती आ जाने से उन्होने सवंत 2042 से 2045 के रोटेशन की जमाबन्दी के अनुसार नामान्तरण सं0 52 दिनांक 05/11/1986 से उक्त वर्णित आराजीयात को प्रतापगढ सहकारी भूमि विकास बैंक में रहन करवा दिया इससे जाहिर होता है कि प्रतिवादीगणों के मन में बदनियती आ गई जबकि उक्त आराजी पर वादीगण ही मालिक होकर कृषि काश्त करते आ रहे हैं।

वर्तमान में उक्त आराजी को प्रतिवादीगणों ने नागदेडा लैम्पस एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा अरनोद में रहन दर्ज करवा दिया इसमें प्रतिवादीगणों की मन्शा भी उक्त आराजी को हडप करने की रही है जबकि वादीगणों द्वारा जबसे उक्त बाबत उनको जानकारी मिली तबसे आज दिन तक उन्होने प्रतिवादीगणों को उक्त आराजी को वादीगणों के नाम दर्ज कराने हेतु कहा लेकिन हर बार प्रतिवादीगण टालमटोल का जवाब देते रहे है। वादीगणों द्वारा न्याय आपके द्वार शिविर में भी प्रतिवादीगणों को उक्त बाबत कहा गया कि शिविर में ले जाकर उक्त आराजी को हमारे नाम पर दर्ज करवा दो लेकिन हर बार की तरह प्रतिवादीगण इन्कार हो जाते हैं।

सेटलमेंट विभाग द्वारा एक ही नाम होने से और गफलत की वजह से बिना जांच किये प्रतिवादीगणों के पिता के नाम विवादित आराजी दर्ज कर दी और ऐसा करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था इसलिये रेवेन्यु रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है और प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादीगण अधिकारी है कि वाद की चरण सं0 3 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 354 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 836 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 रेवेन्यु रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रतिवादीगणों का नाम हटा कर वादीगणों का नाम उक्त आराजी पर दर्ज किया जावे और वादीगणों के नाम से अलग से खाते दर्ज किया जावे। वाद की चरण सं0 3 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 354 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 836 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 का वादीगणों को खातेदार काश्त कर घोषित किया जावे और वादीगणों के नाम से लगान निर्धारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with CamScanner

वादीगण अधिकारी है कि प्रतिवादीगणों को इस आशय का स्थाई नि जावे कि वे वाद की चरण सं0 3 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.21 है0, आराजी 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 पर मदाखलत मजामहद ना करें ना लडाई झगडा न करें। उक्त वर्णित आराजीयात को कही पर भी रहन, व्यय अथवा कि हस्तान्तरण इत्यादि ना करे। उक्त कृत्य ना स्वयं करें ना ही किसी और नौकर, एजेन्ट, रि अथवा अपने दिगर प्रतिनिधि से ही करावें। वाद कारण अभी 5–7 रोज पूर्व से ही उत्पन्न हुआ वादीगणों ने प्रतिवादीगणों को पुनः उक्त आराजीयात को अपने नाम से कराने का कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये ।तब से प्रतिदिवस वाद कारण उत्पन्न है। प्रतिवादी क्रमांक 6 लेन्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 के यहां पर उक्त आराजी रहन होने से इन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि इनके द्वारा बिना जांच पडताल किये और गलत सर्च रिपोर्ट के आधार सम्पूर्ण आराजी को रहन कर रहन राशि प्रतिवादीगणों को दे दी गई जबकि आराजी नम्बर 354, 710, 714, व 836 पर प्रतिवादीगणों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है इसलिये इनके द्वारा दिये गये ऋण और आराजी को रहन करने से वादीगण पाबन्द नहीं है।

वादीगणों के पक्ष में निम्न आशय की दादरसी सहायता फरमाई जावे :–

01 वादीगण अधिकारी है कि वाद की चरण सं0 3 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 354 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 836 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 रेवेन्यु रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रतिवादीगणों का नाम हटा कर वादीगणों का नाम उक्त आराजी पर दर्ज किया जावे और वादीगणों के नाम अलग से खाते दर्ज किया जावें।

02 वाद की चरण सं0 3 में वर्णित आराजी में से आराजी नम्बर 354 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 836 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 का वादीगणों को खातेदार काश्त कार घोषित किया जावें और वादीगणों के नाम से लगान निर्धारित की जावे।

03 वादीगण अधिकारी है कि प्रतिवादीगणों को इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद की चरण सं0 3 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 354 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 836 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 पर मदाखलत मजामहद ना करें वादीगणों से लडाई झगडा ना करें। उक्त वर्णित आराजीयात को कही पर भी रहन, बय, बक्षिस अथवा किसी प्रकार से हस्तान्तरण इत्यादि ना करे। उक्त कृत्य ना स्वयं करे और नाही अपने किसी नौकर एजेण्ट, रिश्तेदार अथवा अपने दिगर प्रतिनिधि से ही करावें।

04 वाद की प्रकृति अनुसार अन्य कोई सहायता जो वादी के हित में हो वह भी वादी को दिलवाई जावे व खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगणों से वादी को दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी हुए। नोटिस बाद तामिल शामिल फाइल किये गए। नोटिस तामिल होने पर भी प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से लगायत 5 (देवीलाल, श्रीगणतपलाल एवं अमृतलाल) उपस्थित नहीं। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रमांक 6 तहसीलदार का जवाब आया। शामिल फाइल किया गया। साक्ष्यवादी कराई गई। एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर वादी अधिवक्ता ने यह पक्ष रखा था। वाद का मूल कारण सेटलमेंट की गलती से है। वादीगणों के पिता श्री भेरा पिता बगदीरामजी के नाम मौजा बेडमा प0ह0 बेडमा में सेटलमेंट से पूर्व बॅटवारे से निम्न आराजीयात दर्ज रिकॉर्ड है –

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकबा
53	144 / 1	15 बिस्वा
	684 / 144 / 2	7 बिस्वा

Scanned with CamScanner

148 / 4	19 बिस्वा
340 / 2	2 बीघा 19 बिस्वा
438 / 2	1 बीघा 1 बिस्वा
524 / 2	2 बीघा 17 बिस्वा

कुल किता :– 6 **कुल रकबा :– 8 बीघा 18 बिस्वा**

इसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न प्रदर्श सं0 3 से (जमाबन्दी संवत 2031 से 2033) दस्तावेज से होता है इसमें जोरखिया, वगदिया, रामा पिता की संयुक्त आराजी में से बॅंटवारे में भेरा पिता वगदीराम को जो आराजी हो उसका स्पष्ट उल्लेख है। पत्रावली में संलग्न मिलानशीट से यह स्पष्ट होता है कि

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकबा
53	144 / 1	15 बिस्वा
	684 / 144 / 2	7 बिस्वा
	148 / 4	19 बिस्वा
	340 / 2	2 बीघा 19 बिस्वा
	438 / 2	1 बीघा 1 बिस्वा
	524 / 2	2 बीघा 17 बिस्वा

कुल किता :– 6 **कुल रकबा :– 8 बीघा 18 बिस्वा**

अतः स्पष्ट है कि विवादित आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, 714 रकबा 0.21 है0, 354 रकबा 0.47 है0, 836 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 सेटलमेंट से पूर्व वादी के पिता के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी पत्रावली में संलग्न प्र0 सं0 2 में सेटलमेंट के बाद जमाबन्दी संवत (2042 से 2045) में उक्त विवादित आराजी श्री भेरा पिता वगदीराम मीणा के खाते दर्ज हो गई। जबकि उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता भेरा पिता बगदीराम के खाते दर्ज होनी चाहिए। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज संवत 2046 से 2049 की जमाबन्दी में स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणों के पिता जी ने आराजी नम्बर 354, 710, 714, 836 पर रहन ले लिया था। प्रतिवादीगणों के पिता भेरा के बाद उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगणों देवीलाल गणपत अमृतलाल पिता के नाम दर्ज हुई है। पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है वर्तमान में भी वादीगणों का कब्जा है जो कि सेटलमेंट पूर्व से भी चला आ रहा है। वादीपक्ष की तरफ से विवादित आराजी के पडोसियों के बयान कराये गए। गवाह देवीलाल पिता मोहन, उदयराम पिता कारूलाल, बंशीलाल पिता मोहन, मांगीलाल पिता बगदीराम, देवाराम पिता जोखा, राधेश्याम पिता केसुराम, एवं पेमा पिता कालूराम ने स्वीकार किया है कि उक्त विवादित आराजी पर वादीगणों का वर्षो से कब्जा काश्त है। इनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति काश्त करने के लिए नहीं आता। इससें यह सिद्ध होता है कि उक्त विवादित आराजी नम्बर पर वादीगणों का कब्जा काश्त रहा है।

उपर्युक्त आधारों के अलावा प्रतिवादीगणों को नोटिस तामिल के बावजूद भी कोर्ट में न तो स्वयं अथवा ना ही उनका अधिवक्ता उपस्थित हुआ इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है।

उक्त आधारों पर यह सिद्ध होता है कि विवादित आराजी सेटलमेंट की गलती से प्रतिवादीगणों के खाता दर्ज रिकॉर्ड की गई अतः वादगणों का विवादित आराजी नम्बर 354 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 710 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 836 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय की डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with CamScanner